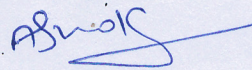


(2)

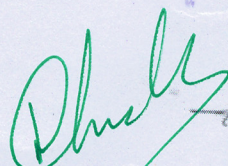
- न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (G) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और
- (H) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- (1) विद्यालय परिसर का क्षेत्र 14576 वर्ग फीट (2) कुल निर्मित क्षेत्र 13680 वर्ग फीट
- (3) खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र किराये पर उपलब्ध (4) कक्षा के कमरों की संख्या 18
- (5) प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष उपलब्ध हैं।
- (6) लडके और लडकियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर उपलब्ध हैं।
- (7) पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। (8) मिड-डे मील पकाने के लिए रसोईघर उपलब्ध है।
- (9) अवरोध विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता है।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जावेगी।
14. आपके विद्यालय को ऑडिटित मान्यता कौड संख्या SKR111 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देना जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में वृद्धियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा जारी किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

नोट :- उपर-दी. ई. के लागू होने पर 2013 अनुमानित रूप से पूर्ण करने होंगे।



सचिव

श्री ऋषिकुल विद्यापीठ शिक्षा समिति



Principal

Tagore International Sr. Sec. School

Kisan Colony, SIKAR

Aff. No. -1731167

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, सीकर

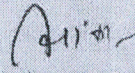
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं08(55) शिक्षा-5/04 जयपुर दिनांक 21/9/2005 एवं 23/5/2007 के अनुसरण में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को वर्तमान परिसर के अलग कक्षा कक्षाओं में पूर्व में स्वीकृत माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) के साथ-साथ माध्यमिक (कक्षा 6 से 10)/उच्च माध्यमिक (कक्षा 6 से 12) स्तर तक उनके सम्मुख अंकित अतिरिक्त माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) से अध्ययन करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	जिला	विद्यालय का नाम	अति0 माध्यम में चाहा गया विद्यालय स्तर	पूर्व स्वीकृत माध्यम	स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम
1	Sikar	विवेकानन्द उमावि0, औद्योगिक क्षेत्र, नीमका थाना, सीकर	उच्च माध्यमिक	हिन्दी	अंग्रेजी
2	Sikar	टैगोर इन्टरनेशनल सी.सै.स्कूल, किसान कॉलोनी	उच्च माध्यमिक	हिन्दी	अंग्रेजी
3	Jaipur	जगदीश पब्लिक सी.सै. स्कूल, दूदू, जयपुर	उच्च माध्यमिक	हिन्दी	अंग्रेजी
4	Hanumangarh	अमृत मॉडल सैकण्डरी स्कूल, नगीना मार्ग, हनुमानगढ़ जंक्शन	माध्यमिक	हिन्दी	अंग्रेजी

उक्त वर्णित संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 की तथा समय-समय पर जारी नियम/निर्देशों की पालना करनी होगी। नियमों की अवहेलना पाई जाने पर नियमानुसार स्वीकृतियां निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

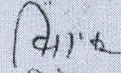

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

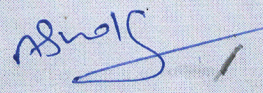
क्रमांक : शिविरा-मा/मा/अ-3/भनावमा/मूल/2013

दिनांक : 27/11/14

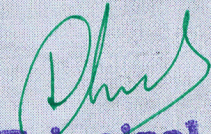
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश को
4. उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. रक्षित पत्रावली


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


सचिव
श्री ऋषिकुल विद्यापीठ शिक्षा समिति

Page 1


Principal
Tagore International Sr. Sec. School
Kisan Colony, SIKAR
Aff. No. -1731167